29/5/2018

प्रार्थी द्वारा न्याय मांगने पर दैनिक कार्यालय में पेश हुए। प्रार्थी किसी के संबंध में तहसीलदार से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार वाद लंबित होने के पश्चात खातेदारान ने अपना हिस्सा बंटवारा कर लिया है तथा लिखित समझौता भी दर्ज होकर स्वीकृत हो चुका है। वाद के अलावा रकबा रेकार्ड की लिखते नहीं रही।

अतः तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार वाद के अलावा रकबा रेकर्ड की लिखते नहीं रहने के कारण वादी का वाद खारीज किया जाता है। प्रार्थी के लिए कुछ नहीं शेष रहा है।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner